न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 12 /प्रा0पत्र/19

सरकार जर्ये थानाधिकारी थाना गंगधार

बनाम

गोविन्द आ0 शंकर नि0 टिपूखेड़ा झारड़ा उज्जेन,म0प्र0

प्रथम सूचना क्रमांक 37/19 थाना गंगधार अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रा0पत्र धारा 451 जा0फो0 बाबत सुपुर्दगी ट्रेक्टर न0 एमपी 13 एबी 2333 मय ट्राली

3/8/19 प्रा0पत्र जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि पुलिस थाना भवानीमण्डी द्वारा प्रथम सूचना क्रमांक 37/2019 थाना गंगधार अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के केस में प्रार्थी का वाहन ट्रेक्टर न0 एमपी 13 एबी 2333 मय ट्राली को जप्त किया हुआ है। प्रार्थी उक्त जप्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन के जप्त रहने से आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी उक्त वाहन को अपने पास सही हालत में रखेगा कंही खुर्द बुर्द ,क्रय विक्रय एंव अन्य हस्तान्तरण नही करेगा। जब्त वाहन को सुपुर्दगी में दिलाने का अनुरोध किया गया है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया व उस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 Crpc के तहत वाहन ट्रेक्टर न0 एमपी 13 एबी 2333 मय ट्राली की सुपुर्दगी बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना गंगधार में दर्ज प्राथमिकी 37/2019 के परिणाम स्वरूप जब्त है। इस प्रकार धारा 451 Crpc के तहत उक्त प्रा0पत्र न्यायालय हाजा में पेण्डिंग नही है । धारा 451 Crpc Disposal of property pending trail cases में क्रिमिनल कोर्ट को ही अधिकार हैं। उपरोक्त विवेचन से इस प्रा0पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। प्रा0पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़